

**बिहार सरकार**  
**सामान्य प्रशासन विभाग**

**।। अधिसूचना ।।**

पटना-15, दिनांक- 27.3.18

सं०-14/प्र० 101/2016-सा०प्र०- 4121 / वित्त विभागीय की संकल्प सं० 7566 दिनांक -14. 7.10 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य संकल्पों के आलोक में बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त "रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010" के प्रावधानों के तहत उनके नाम के सामने अंकित तिथि से पे-बैंड ₹ 15,600- 39,100/-, ग्रेड पे ₹ 7,600/- अपुनरीक्षित (लेवल-12 पुनरीक्षित) में द्वितीय वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-


क्र०सं०	पदाधिकारी का नाम	कोटि क्रमांक वर्ष 2011 का	द्वितीय रु० सु० वृत्ति उन्नयन की देय तिथि
1	2	3	4
1.	श्री नन्द लाल आर्य,	829	22-01-16
2.	श्री सुजीत कुमार	830	16-01-16
3.	श्री रजनीश कुमार सिंह	831	8-01-16
4.	श्री जीतेन्द्र प्रसाद साह	832	5-02-16
5.	श्री राकेश रजन,	835	8-01-16
6.	श्री संजय कुमार,	836	15-01-16
7.	श्री शम्भु शरण,	837	8-01-16
8.	श्री अजय कुमार सिंह,	838	17-01-16
9.	श्री राजेश कुमार सिंह,	840	13-01-16
10.	श्री राजेश कुमार,	841	09-01-16
11.	श्री विनोद कुमार सिंह,	842	09-01-16
12.	श्री ब्रज किशोर सदानन्द,	844	8-01-16
13.	श्री सुनील कुमार,	845	8-01-16
14.	श्री माधव कुमार सिंह,	847	9-02-16
15.	श्री अमीर अप्पाक अहमद फैजी,	848	8-01-16
16.	श्री अनिल कुमार,	850	6-01-16
17.	श्री विनायक मिश्र,	851	09-01-16
18.	श्री सुधीर कुमार,	852	7-02-16
19.	श्री वरुण कुमार मिश्र,	853	04.01.16
20.	श्री सुमन कुमार,	854	04.01.06
21.	मो० वारिस खाँ,	856	22.01.16
22.	श्री अखिलेश कुमार सिंह,	857	15.01.16
23.	श्री पूर्णेन्दु कुमार,	859	8-01-16
24.	श्री राजेश भारती,	860	17.01.16
25.	श्री खुशीद अहमद सिद्दीकी,	861	29.03.16
26.	श्री अतुल कुमार वर्मा,	862	8-01-16
27.	श्री विनय कुमार,	865	15-01-16
28.	श्री अभय कुमार सिंह,	866	12-01-16
29.	श्री सत्येन्द्र कुमार मिश्र,	867	01-03-11
30.	श्री राजीव कुमार सिंह,	869	(पूर्व सेवा के आधार पर) 10-02-16

*(Handwritten Signature)*

31.	डॉ० संजय कुमार,	872	24-01-16
32.	श्री सत्यप्रकाश,	873	9-01-16
33.	श्री मुकुल कुमार,	875	12-01-16
34.	श्रीमती मीना कुमारी,	876	8-01-16
35.	श्रीमती कुमारी सीमा,	877	8-01-16
36.	डॉ० महेन्द्र पाल,	878	8-01-16
37.	श्री रशीद कलीम अंसारी,	879	8-01-16
38.	मो० जहाँगीर आलम,	880	18-01-16
39.	मो० मुमताज आलम,	881	9-01-16
40.	श्री विजय कुमार,	882	22-01-16
41.	श्री संजय कुमार,	883	8-01-16
42.	मो० तारिक,	884	18-01-16
43.	श्रीमती प्रतिभा कुमारी,	886	13-02-16
44.	श्री सुशांत कुमार,	890	18-01-16
45.	श्री मनन राम,	892	1-02-16
46.	श्री विजय कुमार प्रभात,	895	16-01-16
47.	श्री इब्रार अहमद खॉ	951	12-01-2016 (पूर्व सेवा के आधार पर)

2. वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप पदाधिकारियों के वेतन का निर्धारण रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010 में निहित सुसंगत प्रावधानों के आलोक में किया जायेगा।
3. उपर्युक्त किसी भी पदाधिकारी के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर संबंधित पदाधिकारी को प्रदत्त एम०ए०सी०पी० योजना के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जाएगा तथा उन्हें भुगतान की गयी राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जाएगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,




( विमलेश कुमार झा )

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-14/प्रो० 101/2016-सा०प्र०-4121/ पटना-15, दिनांक- 27.3.18

प्रतिलिपि : प्रतिलिपि- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई०टी० प्रबंधक, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार बिहार, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, /प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना / सभी संबंधित विभाग एवं विभागाध्यक्ष/ सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/ सभी संबंधित कोषांगार पदाधिकारी/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ सभी संबंधित पदाधिकारी/ प्रबंधक, आई० टी०, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/ सामान्य प्रशासन विभाग के सभी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2, 8 एवं चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. महालेखाकार, बिहार/ वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना से अनुरोध है कि वित्त विभाग की संकल्प सं० 7566 दिनांक 14.7.10 के अन्तर्गत निर्धारित सुसंगत प्रावधानों के अनुसार जाँच कर यथानुमान्य वेतनपुर्जा निर्गत किया जाय।



सरकार के संयुक्त सचिव।